


FORM NO. |||

फर्द अहकाम
नियम (26)

अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....
.....दल्याबाई..... बनाम.....(निरकार).....
किस्म मु०.....मिसल न०.....73/2025.....
136 LR 140

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील मे जारी हुए
14/10/25	<p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी दुलीबाई पत्नि स्व. बृजमोहन ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम दुलीबाई पत्नि स्व. बृजमोहन नि० अयाना नाम दर्ज है। जमांबदी सवत् 2074 से 77 मुताबिक खसरा नबर 1394/3 में काशतगार का नाम दुलीबाई पत्नि स्व. बृजमोहन दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की सम्बधित पटवारी भू अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम दुलीबाई पत्नि स्व. बृजमोहन के स्थान पर दल्याबाई पत्नि स्व. बृजमोहन नाम दर्ज किया जावे । आज दिनांक 27/10/25..... को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी इटावा</p>	